

उदयपुर

Rashtradoot

फोन:- 2418945 फैक्स:- 0294-2410146

वर्ष: 32 संख्या: 213 प्रभात

उदयपुर, शुक्रवार 6 जून, 2025

आर.जे. 7202

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

पहली बार सांप्रदायिक और क्षेत्रीय आधार पर बंटी जम्मू-कश्मीर कांग्रेस इकाई

इस दरार की जड़ हैं, प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल हमीद कर्म जिन्हें राहुल गांधी की चॉइस बताया जाता है

रेपु मितल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूजो-

नई दिल्ली, 5 जून कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई में विभाजन अब पूरी तरह खुलकर सामने आ गया है। विवाद का मुख्य कारण जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीपी) के अध्यक्ष अब्दुल हमीद कर्म हैं, जो कश्मीर से आते हैं।

यह संघवत: पहला अवसर है, जब जम्मू और कश्मीर की इकाईयों सांप्रदायिक और क्षेत्रीय आधार पर विभाजित नज़र आ रही है। कर्म के आलोचकों का कहना है कि उनमें न तो कोई राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है और न ही व्यापक और समावेशी दृष्टि। उनका कहना है कि जम्मू में कांग्रेस की स्थिति तेज़ी से खराब हो रही है।

उनके अनुसार, कांग्रेस ने कभी भी

- कर्म पीड़ीपी से कांग्रेस में आए हैं और अमरनाथ आतंकी हमले पर गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिराने में उनकी अहम भूमिका थी, जब पीड़ीपी ने भाजपा से हाथ मिलाया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी।
- कर्म कांग्रेस कल्चर से वाकिफ नहीं हैं और उनकी सोच व न ज़रिया राष्ट्रवादी न होकर कश्मीर के नियन्त्रित और अलगवादी है।
- यही वजह है कि जम्मू के कांग्रेसी उनसे नाराज़ हैं। उनकी मांग है या तो प्रदेश अध्यक्ष जम्मू का हो या जम्मू की अलग कांग्रेस इकाई बनाई जाए।
- देखना यह है कि अब राहुल क्या करते हैं, क्योंकि, राहुल धमाकेदार भाषण तो देते हैं, पर उसे क्रियान्वित करने का उनका सिस्टम बेहद दर्दनीय है।

सांप्रदायिक राजनीति नहीं की, लेकिन कर्म के नेतृत्व में पार्टी में सांप्रदायिक

रुझान आ रहे हैं, जिससे जम्मू में भाजपा से मुकाबला करना कठिन हो गया है। इसका स्पष्ट उदाहरण हाल में हाए जम्मू-कश्मीर के चुनाव हैं, जहाँ कांग्रेस, भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकी तथा कांग्रेस की उम्मीदों के बावजूद, उसका प्रदर्शन बेहद निशाचरक रहा और सभी लोग सत्यवाच हो गये। जम्मू कांग्रेस इकाई की मांग है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जम्मू से होना चाहिए। उनकी मांग है कि यदि ऐसा संभव न हो, तो मुंबई रीजल कांग्रेस कमेटी की तर्ज पर एक अलग ग्रामीण बनाए जाए। जैसा कि उम्मीद वाले राष्ट्रवादी में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ किया गया है। उनकी मुख्य आपत्ति यह है कि कर्म की सोच पूरी तरह कश्मीर-केन्द्री है और वे केवल कश्मीर पर केन्द्रित सोच (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा, नीट पीजी परीक्षा की तारीख

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूजो-

नई दिल्ली, 5 जून सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार के नेशनल बोर्ड ऑफ एज्ञायिनेंस (एन.बी.ई.) की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 3 अगस्त को नीट पीजी परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मांगी गई है। यह परीक्षा पहले 15 जून को होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा परीक्षा के

जातिगत जनगणना में निहित है परिसीमन का भय

बताया जाता है, केन्द्र सरकार जातिगत जनगणना के डेटा के आधार पर नए सिरे से परिसीमन करने की तैयारी में हैं

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूजो-

नई दिल्ली, 5 जून बुधप्रीवीक्षित जातिगत जनगणना शुरू होने वाली है। इसकी अधिकृत अधिकारी शुक्रवार 16 जून को जारी हो जायेगी। लेकिन इसे लेकर राजनीति एवं संवैधानिक बहवें जोर पकड़ चुकी है। ये बहस खासतौर से संसदीय सीटों पर परीक्षीमन के विवादित मुद्दे से संबंधित हैं। कुछ ही महीने दूर सुख राज्यों के चुनावों और बढ़ते जा रहे संविधान तात्वों को भूषणीय में, सरकार के कई कामों पर पूरे राजनीति परिदृश्य की नज़रें लगी हुई हैं।

प्रस्तावित दो शिफ्ट फॉर्मेंट पर चिंता जातीने के बाद, इसे स्थगित कर दिया गया था। एन.बी.ई. ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है कि वह नई प्रस्तावित है। उनकी मुख्य आपत्ति यह है कि कर्म की सोच पूरी तरह कश्मीर-केन्द्री है और वे केवल कश्मीर पर केन्द्रित सोच (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दक्षिण भारतीय राज्यों का आशंका है कि नए परिसीमन में कम जनसंख्या की वजह से दक्षिण भारतीय राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व घट सकता है और ज्यादा आबादी वाले यूपी, बिहार की सीटें बढ़ सकती हैं।

स्टालिन ने कहा कि "हम जनसंख्या नियन्त्रण की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का खामियाजा कर्यों भुगता हैं।"

ज्ञातव्य है कि देश में अक्टूबर से जातिगत जनगणना शुरू होने जा रही है, जिसकी अधिसूचना 16 जून को जारी होगी।

दक्षिण भारतीय राज्यों की ओर संकेत करते हुये, स्टालिन ने प्रश्न किया है, "सामाजिक नियोजन के मामले में हमारी सफलता की ऐसी कीमत आखिर हम क्यों चुकायें, जबकि दूसरे राज्यों को अनियंत्रित जनसंख्या-बुद्धि के कारण

क्षेत्रीय असंतुलन की ओर संकेत करते हुये, स्टालिन ने प्रश्न किया है, "सामाजिक नियोजन के मामले में हमारी सफलता की ऐसी कीमत आखिर हम क्यों चुकायें, जबकि दूसरे राज्यों को अनियंत्रित जनसंख्या-बुद्धि के कारण

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'राज्य सरकार पंचायतों व निकायों में मनमर्जी से परिसीमन कर रही है'

सचिन पायलट ने टॉक में बैरवा धर्मशाला में नवनिर्मित छात्रावास के लोकार्पण कार्यक्रम में कहा

टॉक, 5 जून। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उप सूखमंत्री एवं टॉक

विवादों में चिन्ह

स्वामी राष्ट्रदूत

विचार बिन्दु

क्षमा से क्रोध को जीतो, भलाई से बुराई को जीतो, दरिद्रता को दान से जीतो और सत्य से असत्यवादी को जीतो। -महात्मा बुद्ध

संसद सदस्य अथवा विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय करने का अधिकार किसे है?

ग

त शुक्रवार दिनांक 30.05.2025 के सम्पादकीय में लेखक ने “कंवर लाल मीणा की विधायिका समाप्त हो गई; किन्तु कारावास की सजा के कारण अयोग्य होने से सीट रिक्त होने का आदेश सही प्रतीत नहीं होता” के शीर्षक से अपने अतिथि सम्पादकीय में लेख का सारांश निम्नलिखित प्रकार से अन्तिम चरण में किया था:-

“उपरोक्त मन्त्रन का सार यह है कि राज्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता के मुख्य कानूनी प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 191 व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) है। उपचारा (4) धारा 8 को लिली थाम्स के केस (निर्णय दिनांक 10.07.2013) में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। इन दोनों कानूनों के कारण दोष सिद्ध अयोग्यता का कारण बनती है। यदि दोष सिद्ध में दो वर्ष या इससे अधिक कारावास की सजा दी गई है तो अयोग्यता स्वतः हो सकती है। इसे समझने के लिये संविधान के अनुच्छेद 190(3) को पढ़ना होगा। यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि विधान सभा की सीट दोष सिद्ध की तारीख से रिक्त होती है और दोष सिद्ध (Conviction) 2020 में हुआ।”

विधानसभा की सीट दोष सिद्ध की तारीख से रिक्त होती है यदि सजा 2 वर्ष से कम की नहीं है तो अयोग्यता दोष सिद्ध की तारीख से होती और यह अयोग्यता 6 वर्ष की होती। अयोग्यता से पीड़ित सदस्यों को, धारा 8(3) के अपराधों के कारण दोष सिद्ध होने से धारा 8(4) का कोई लाभ नहीं मिल सकता।

इसी बात को स्पष्ट करते हुये लेखक ने पाठकों का ध्यान संविधान के अनुच्छेद के कई प्रावधानों की ओर आकर्षित किया था जो स्पष्ट करते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (4) सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 10.07.2023 के अनुच्छेद 192 के अनुच्छेद 192 में असेम्बली के सदस्यता अयोग्यता के बाबत का अधिकार महामहीम गवर्नर महोदय को है वही संसद की अयोग्यता के कारण बनती है, यदि दोष सिद्ध में दो वर्ष या इससे अधिक की सजा दी गई है तो अयोग्यता के कारण विधान सभा की सीट दोष सिद्ध की तारीख से रिक्त होती है। यह भी स्पष्ट किया था कि इसी बाबत अनुच्छेद 190 की उपधारा (3) लागू होती है।

संविधान के अनुच्छेद 192 के अनुसार यदि अयोग्यता के बाबत कोई विवाद होने पर उसका निर्णय गवर्नर करते हैं और उनका निर्णय अन्तिम होता है, किन्तु गवर्नर के लिये यह अपेक्षित है कि वे निर्णय से पूर्व चुनाव आयोग (Election Commission) की राय लेंगे। इस प्रकार कंवर लाल मीणा के केस में जो सीट रिक्त होने अथवा अयोग्यता के बाबत निर्णय है, उसकी समीक्षा की अवश्यकता प्रतीत होती है।

अनुसार यदि अयोग्यता के बाबत कोई विवाद होने से पूर्व एक अन्य लेख “सांसद की सदस्यता की अयोग्यता के बाबत संविधान के अनुच्छेद 103 की क्या कोई भूमिका है?” शीर्षक से लेखक ने लिखा था वह भी राष्ट्रदूर में दिनांक 11.08.2023 को प्रकाशित होता रखा है। उस लेख सम्पादकीय में संविधान को ऐसा प्रतीत होता है गलती साच में कही है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) का उल्लेख तो किया है, किन्तु दोष सिद्ध के प्रश्न पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कन्वीक्षण को निलम्बित करने का उल्लेख किया है; किन्तु इस बाबत का उल्लेख नहीं किया है कि उक्त अधिनियम की धारा 8(4) संविधान की सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। अतः पाठकों से निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितों में संवय अपने विवेक से सही निर्णय करें कि सही कानून स्थित की व्यापार्यान्वयन को स्थगित रखें का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, जिसकी विधायिकता के सम्बन्ध में कोई चुनौती नहीं है।

जहाँ अनुच्छेद 192 में असेम्बली के सदस्यता अयोग्यता के विवाद के बाबत की अयोग्यता के महामहीम गवर्नर महोदय को है वही संसद के सदस्यता अयोग्यता के विवाद का निर्णय लेने का अधिकार महामहीम प्रेसीडेण्ट को संविधान के अनुच्छेद 103 में है। यह ध्यान रहे कि विभिन्न विचारों के टकरार से ही कानून का सूजन व प्रगति होती है।

संतुष्टमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द्र जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

राशिफल शुक्रवार 6 जून, 2025

ज्येष्ठ मास, शुक्रवार पक्ष, एकादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2082, हस्त नक्षत्र प्रातः: 6:34 तक, व्यतिपात्र योग दिन 10:13 तक, वर्णिण करण दिन 3:32 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 8:07 से तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-कर्क, बुध-चूष, गुरु-पिंशुर, शुक्र-मेष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज कुमार योग सूर्योदय से प्रातः: 6:34 तक त है। वियोग प्रातः: 6:34 तक रहेगा। राजयोग रात्रि 4:48 से सूर्योदय तक है।

श्रेष्ठ चौधूर्यिया: चर सूर्योदय से 7:18 तक, लाभ अमृत 7:18

से 10:43 तक, सुध 12:25 से 2:07 तक, चर 5:32 से सूर्योदय तक।

राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:36, सूर्यस्त 7:14

मेष संविधान की सदस्यता की अयोग्यता के बाबत की अयोग्यता के संविधान के अनुच्छेद 103 की क्या कोई भूमिका है?

संविधान की सदस्यता की अयोग्यता के बाबत की अयोग्यता के महामहीम गवर्नर महोदय को है वही संसद के सदस्यता की अयोग्यता के विवाद का निर्णय लेने का अधिकार महामहीम प्रेसीडेण्ट को संविधान के अनुच्छेद 103 में है। यह ध्यान रहे कि विभिन्न विचारों के टकरार से ही कानून का सूजन व प्रगति होती है।

संतुष्टमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक,

पानाचन्द्र जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

पंडित अनिल शर्मा

